संख्या-363/2025/2056/41-2-2025-21(सा0)/2025-CN-1944422

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 04 सितम्बर, 2025**

विषय-जनपद ललितपुर में झांसी से लगभग 45 कि0मी0 दूर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के किनारे झरर घाट ग्राम की भूमि गाटा संख्या-73 मि0 क्षे0 1.214 हे0 बंजर भूमि का स्वामित्व पर्यटन विभाग को उ0प्र0 में आने वाले पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-187110/6-1-1/(झांसी मण्डल/भूमि)/2025-26 दिनांक 19.06.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद ललितपुर में झांसी से लगभग 45 कि0मी0 दूर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के किनारे झरर घाट ग्राम की भूमि गाटा संख्या-73 मि0 क्षे0 1.214 हे0 बंजर भूमि का स्वामित्व पर्यटन विभाग को उ0प्र0 में आने वाले पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाने वाली टिप्पणी उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 29.08.2025 के क्रम में राजस्व अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-यू0ओ0-107/एक-1-2025-रा0-1 दिनांक 03.09.2025 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नंलिखित को उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 03.09.2025 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त झॉसी मण्डल, झॉसी।
4- जिलाधिकारी, ललितपुर।
5- निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी**,** झॉसी मण्डल**,** झॉसी।
7- गार्ड-फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ई–मेल

संख्या–यू0ओ0–107 / एक–1–2025–रा0–1

प्रेषक,

राम केवल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ललितपुर।

राजस्व अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 03 सितम्बर, 2025

विषयः–जनपद ललितपुर में झांसी से लगभग 45 कि0मी0 दूर राष्ट्रीय राजमार्ग–44 के किनारे झरर घाट ग्राम की भूमि गाटा संख्या–73मि0 क्षे0 1.214हे0 बंजर भूमि का स्वामित्व पर्यटन विभाग को उ0प्र0 में आने वाले पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–744 / एक–1–2016–20(5) / 2016 दिनांक–03.06.2016 द्वारा ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित एवं सरकारी भूमियों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–4(1)(ग) में व्यवस्था है कि राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों / निजी कम्पनियों / निजी संस्थाओं / न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य / वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा।

2– उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जनपद ललितपुर की तहसील तालबेहट के ग्राम झरर घाट में स्थित आराजी संख्या–73मि0 क्षे0–1.214हे0 बंजर भूमि श्रेणी–5–3–ड. पर्यटन विकास कार्य हेतु पर्यटन विभाग के निवर्तन पर निःशुल्क रखी जायेगी।

3– तदनुसार पूर्व में निर्गत एतद् विषयक राजस्व अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–744 / एक–1–2016–20(5) / 2016 दिनांक–03.06.2016 उक्त प्रकरण हेतु उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश दिनांक–03.06.2016 के शेष अन्य प्राविधान यथावत प्रभावी रहेंगे।

–2–

4– यह आदेश गोपन अनुभाग–1 के अशासकीय पत्र संख्या–4/3/9/2025–सी0एक्स0(1) दिनांक–29.08.2025 में प्राप्त मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(राम केवल)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) पर्यटन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया शासनादेश की प्रति अपने स्तर से विशेष सचिव, गोपन अनुभाग–1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या–4/3/9/2025–सी0एक्स0(1) दिनांक–29.08.2025 के क्रम में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।